

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खरगौन जिले के अंतर्गत वनमंडल खरगौन के वन परिक्षेत्र चिरीया से तितरान्या तक 33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण हेतु 20.686 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, (संचा/संधा) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड, खरगौन द्वितीय, जिला खरगौन मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 27-05.2019

स्थान: भोपाल



(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)